

**न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट**  
**शृंखला बैहर**  
**(पीठासीन अधिकारी- माखनलाल झोड़)**

**Filling No. MCA/92/2017**  
**CNR-MP500/50050005852017**

**Case No. MCA/03/2017**

**संस्थित दिनांक-07-03-2017**

करन सिंह उम्र 50 वर्ष पिता मंगल सिंह जाति गोंड  
निवासी-ग्राम परसाटोला (हीरापुर) तहसील बैहर  
जिला बालाघाट (म.प्र.) - - - - - अपीलार्थी

**- / / बनाम / / -**

- 1- उप संचालक मत्स्योद्योग बालाघाट
- 2- सरपंच ग्राम पंचायत परसाटोला, जनपद पंचायत बैहर जिला बालाघाट
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बैहर जिला बालाघाट
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट
- 5- श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाट  
तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) - - - उत्तरवादीगण

=====

{न्यायालय: द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, बैहर श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, द्वारा व्य. वाद क. 02ए-/2017 करन सिंह बनाम उप संचालक+4 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2017 से क्षुब्ध होकर यह अपील पेश की है}

=====

श्री बी0एल0 राणा अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।  
श्री वाय.आर. चौधरी अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी कमांक 1 लगायत 5

=====

**- / / / आदेश / / / -**  
**(आज दिनांक 19 जनवरी 2018 को पारित)**

1. अपीलार्थी ने यह विविध अपील न्यायालय-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर पीठासीन अधिकारी श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, द्वारा व्यवहार वाद कमांक 02ए/2017 करन सिंह बनाम उप संचालक + 4 में आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं.

जिसका अंतरवर्ती आवेदन क्रमांक 2 है, के अधीन प्रस्तुत आवेदन पत्र पर दिनांक 18.02.2017 को आदेश पारित कर, आवेदन अस्वीकार कर निरस्त किए जाने से परिवेदित होकर पेश की है।

2. पक्षकारों के मध्य स्वीकृत तथ्य यह है कि ख.क्र. 20 मौजा परसाटोला तहसील बैहर जिला बालाघाट पर निर्मित जलाशय (नया तालाब) मत्स्याखेट हेतु पट्टा अनुबंध पत्र की शर्तों के आधार पर दिया गया था।

3. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. जिसका अंतरवर्ती आवेदन क्रमांक 2 है, का सार यह है कि आवेदक परसाटोला-हीरापुर तहसील बैहर का निवासी है। परंपरागत तरीके से मछली पालन एवं मछली आखेट का कार्य परिवार सहित करता है। वादी ने प.ह.न. 21 मौजा परसाटोला तहसील बैहर स्थित जलाशय/नया तालाब में मछली पालन किए जाने हेतु अना.क्र. 1 के हस्ताक्षर पदमुद्रा से अना.क्र. 5 के कार्यालय से वर्ष 2011 से वर्ष 2021 तक के लिए पट्टा प्राप्त किया था। आवेदक वर्ष 2021 तक वैध पट्टाधारी है।

4. पट्टा जारी करते समय उक्त जलाशय का प्रबंधन ग्राम पंचायत परसाटोला के अधीन था। अना.क्र. 3 व 4 द्वारा उक्त पट्टा अवधि की समाप्ति के पूर्व दिनांक 23.09.2015 को सूचना प्रकाशित की गई कि नया तालाब किसी अन्य को पट्टे में दिए जाने का इस्तेहार अना.क्र. 5 के कार्यालय से जारी होने से पक्षकार बनाया गया है। पट्टा आवेदक क्रमांक 1 के नाम से संपत्ति का नाम नया तालाब औसत जल क्षेत्र 0.800 हे. ख.क्र. 20 पट्टा राशि प्रतिवर्ष 400/-रूपया, पट्टा अवधि 01.07.2011 से 30.06.2021 के लिए है।

5. आवेदक दिनांक 18.10.16 को अना.क्र. 5 के कार्यालय में उपस्थित हुआ, आवेदक के पक्ष में जारी पट्टा अवधि के पूर्व नया तालाब में 50,000/-रूपए व्यय किया जाना बताया। यदि पट्टा निरस्त किया जाता है तो प्राप्त सूचना अनुसार दिनांक 09.11.16 के कथनानुसार जत्ता मछुआ समिति में वह सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसे क्षति होगी। वाद हेतुक पूर्व सूचना पत्र धारा 80 सी.पी.सी. के अधीन प्रेषित किया गया। पट्टे में यह उल्लेख नहीं है कि ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत को कितने हेक्टे. का अधिकार होगा। डूब क्षेत्र में वृद्धि होती है तो पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी पट्टे में लेख नहीं है। जारी पट्टे के आधार पर आवेदक वर्ष

2021 तक विधिक तौर पर पट्टाधारी की हैसियत से कब्जे में बने रहने का अधिकारी है। यदि अनावेदकगण को नहीं रोका गया तो आवेदक को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, वाद के निराकरण में समय लगेगा, सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है, प्रस्तुत आवेदन आवेदक के पक्ष में है, आवेदन स्वीकार कर अस्थायी निषेधाज्ञा अनावेदकगण के विरुद्ध जारी किए जाने की याचना की है।

6. अना.क्र. 1, 4, 5 द्वारा पेश उत्तर का सार यह है कि ख.क्र. 20 स्थित तालाब मस्याखेट पर पट्टा अनुबंध पत्र की शर्तों के आधार पर दिया गया था जिसकी शर्त क्रमांक 7 एवं 20 की शर्तों के साथ आवेदक पट्टाधारी है। प्रतिवर्ष शासन के नियमानुसार 1 जुलाई से 30 जून तक नवीनीकृत कराने का पालन करना आवश्यक है जिससे वह विबंधित है। अना.क्र. 2 को पक्षकार बनाए जाने के संबंध में कोई उत्तर लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक को मात्र 0.800 हेक्टे. भूमि वाले तालाब का पट्टा दिया गया था। शासन के नियमानुसार परिवर्तन होने पर निर्माणाधीन क्षेत्र 27.050 हेक्टे. में जल क्षेत्र 20.700 हेक्टे. हो गया है। शासन की योजना अनुसार सहकारी समिति का विधिवत सदस्यता की पूर्ण पात्रता का अवसर देकर संबंधित समिति द्वारा सूचित किया गया है।

7. आवेदक को पट्टे पर दिए गए क्षेत्र 0.800 हेक्टे. का वर्तमान क्षेत्र 20.700 हेक्टे. बढ़ चुका है। अनाधिकृत रूप से मत्स्य पालन की भावना बनाकर आवेदन पेश किया है, तथ्य को छिपाया है, 50,000/-रुपए व्यय करने का अभिकथन झूठा है, अना.क्र. 1 के कार्यालय ने तालाब के विस्तार की सूचना आवेदक को दी थी, आवेदक का दायित्व है कि वह शासन के नियमों का पालन करे। मछुआ समिति का सदस्य होने से उसे अपूरणीय क्षति होगी गलत रूप से लेख किया है। तालाब का क्षेत्रफल 10 हेक्टे. से बढ़कर 27 हेक्टे. होने से ग्राम पंचायत की क्षेत्राधिकारिता का नहीं रह गया है, 10 हेक्टे. से अधिक क्षेत्र होने से प्रबंधन जनपद पंचायत बैहर को है जिसने सूचना क्रमांक 1502 दिनांक 17.12.2015 के द्वारा अनुज्ञप्ति जारी कर नवीन तालाब के 10 वर्षीय पट्टे के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किए थे। इस विस्तृत क्षेत्रफल उप संचालक मत्स्याद्योग बालाघाट के माध्यम से म.प्र. शासन की मत्स्यपालन नीति 2008 के अनुसार 1.000 हेक्टे. के क्षेत्र के उपर के जलाशय

के क्षेत्र को पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति प्रथम प्राथमिकता रखती है। आवेदन निरस्त किए जाने की याचना की है।

8. प्रस्तुत विविध अपील के आधार का सार यह है कि अपीलार्थी को सूचना दिए बिना दिनांक 23.09.2015 को उत्तरवादी क्रमांक 3 के कार्यालय में उत्तरवादी क्रमांक 1 के दिशा-निर्देश में उक्त तालाब किसी अन्य को पट्टा पर दिये जाने का प्रकाशन जारी किया गया है, प्रकाशन के पश्चात् पट्टा की प्रभावी अवधि में दिनांक 09.11.16 को उत्तरवादी क्र. 3 के कार्यालय में हुए प्रकाशन के पश्चात् प्रेषित सूचना पत्र विधि के सम्यक अनुक्रम में नहीं है, अपीलार्थी को यह विकल्प देना था कि मछुआ समिति जत्ता में सदस्यता ग्रहण करे, सदस्यता की ग्रहणता का कारण लेख न करने से सूचना पत्र का पालन नहीं किया तो उक्त तालाब में मत्स्याखंड/मछली पालन के कार्य में उत्तरवादीगण हस्तक्षेप उत्पन्न कर, अनावश्यक दस्तावेजी कार्यवाही संचालित कर बाधित किया गया है, अपीलार्थी को उत्तरवादीगण पट्टाकर्ता की विधि विपरीत कार्यवाही से पट्टा प्रदाय कि महत्वता के हन्न व अपूर्णीय क्षति की संभावना विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा पाने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, उक्त तालाब का जल डूब क्षेत्र में वृद्धि 0.800 हे. से 20.700 हे. होने से अनुबंध पत्र की कंडिका 7 एवं 20 पट्टेदार को कार्य से बाधित करती है, विचारण न्यायालय ने मात्र उत्तरवादीगण द्वारा लेख कथनों को आधार मानकर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है, जल डूब क्षेत्र में वृद्धि 0.800 हे. से 20.700 हे. मापदण्ड का आधार लिया गया है, उक्त संबंधी में दस्तावेज पेश नहीं है, अपीलार्थी मुख्यतः परंपरागत मछुआ व्यक्ति है, उसपर उसका परिवार आश्रित है, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण चला आ रहा है, अपीलार्थी का कोई अन्य आय का साधन नहीं है, आर्थिक असुविधा होने से अपूर्ण क्षति का सामना करना तय है, विचारण न्यायालय द्वारा अपूर्णीय क्षति का तत्व अपीलार्थी के पक्ष में न होने के संबंध में त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है।

9. आवेदन पत्र में आयी परिस्थिति अनुसार शपथपत्र, समर्थित दस्तावेज अनुसार सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है, विचारण न्यायालय द्वारा इस ओर ध्यान न देकर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है, सकारात्मक विवेचना नहीं किये जाने से पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है, विचारण न्यायालय द्वारा



पारित आदेश तथ्यों एवं विधि सिद्धांतों के विपरीत है, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2017 अपास्त कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने की याचना की है एवं मौजा परसाटोला प.ह.न. 21 रा.नि.मं. भण्डेरी तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित ख.क. 20 जल क्षेत्र 0.800 हे. भूमि पर स्थित तालाब में मत्स्याखेट का कार्य किए जाने के संबंध में उत्तरवादीगण अपीलार्थी को दखल देने से, उत्तरवादीगण द्वारा की जा रही दस्तावेजी कार्यवाही को मूल प्रकरण के निराकरण तक अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किए जाने की याचना की है।

10. अपील के निराकरण हेतु अधोलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किए जाते हैं :-

क.	विचारणीय प्रश्न
1.	क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद क्र. 02ए/2017 करणसिंह बनाम उप संचालक+4 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2017 में अशुद्धता, तथ्य की त्रुटि एवं विधि की त्रुटि होने से हस्तक्षेप योग्य है ?

**विचारणीय प्रश्न का दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष:-**

11. उभयपक्षों द्वारा किए गए विस्तृत तर्कों को विचार में लिया गया।
12. आवेदक ने दस्तावेज सूची दिनांक 07.09.2017 के साथ कार्यालय कलेक्टर (उप संचालक मत्स्योद्योग) बालाघाट म.प्र. के नाम से क्रमांक 1671/उ.स.म./पट्टा/2011-12 बालाघाट दिनांक 29.09.2011 द्वारा आवेदक के पक्ष में जारी किया गया है, को पेश किया है। सूची दिनांक 09.02.2017 के साथ 62,000/-रुपए का मत्स्य बीज क्रय करने का बिल दिनांक 13.07.2016 का पेश किया है, का विचार में लिया गया।
13. मूल पट्टा दिनांक 29.09.2011 में प्रतिलिपि के सरल क्रमांक 4 पर आवेदक पट्टाधारक श्री करन सिंह वल्द मंगल सिंह को यह लिखित निर्देश दिए गए हैं कि वह — निर्धारित प्रपत्र में ग्राम पंचायत परसाटोला से अनुबंध निष्पादित करे एवं प्रतिवर्ष निर्धारित पट्टा राशि ग्राम पंचायत परसाटोला में जमा करावे। निर्धारित मापदण्ड अनुसार मछली बीज मत्स्य

विभाग के माध्यम से कय कर तालाब में संचयन करे, मत्स्य उत्पादन की जानकारी प्रतिमाह देना अनिवार्य है।

14. संपूर्ण आवेदन में मूल पट्टा दिनांक 29.07.2011 की प्रतिलिपि के सरल क्रमांक 4 पर आवेदक को दिए गए निर्देश के पालन में आवेदक ने ग्राम पंचायत परसाटोला के साथ अनुबंध निष्पादन किया है अभिकथन नहीं है। अनुबंध पत्र की प्रति अभिलेख पर पेश नहीं है। वर्ष 2011 के बाद प्रति वर्ष निर्धारित पट्टा राशि जो इसी आदेश में 400/—रूपए है, कि दर से राशि जमा करने की रसीदें नहीं है। अनुबंध पत्र में अग्रिम राशि जमा करने की कोई शर्त लेख नहीं है। इस प्रकार आवेदक ने मूल पट्टे की शर्तों का पालन ग्राम पंचायत परसाटोला के साथ निष्पादित कर किया है, दस्तावेजी साक्ष्य से दर्शित नहीं होता है।

15. म0प्र0 राज्य की योजना के अनुसार पट्टे पर दिए गए तालाब क्षेत्र 0.800 हेक्टे. का जल क्षेत्र नवीन निर्माण से जो 27 हेक्टे. से अधिक भूमि पर है जिसमें जल डूब क्षेत्र 20 हेक्टे. से अधिक है। तालाब के प्रबंधन का दायित्व ग्राम पंचायत की सीमा में न होकर जलपद पंचायत की अधिकारिता में हो जाने से तथा इस आदेश के पद क्रमांक 14 में लेख आधार पर आवेदक/अपीलार्थी के द्वारा पेश अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। आवेदक/अपीलार्थी को म.प्र. राज्य के कानून को और नियमों को पालन करना आवश्यक है। अपीलार्थी को कानून का उल्लंघन करने, नियमों का उल्लंघन करने की अधिकारिता नहीं है।

16. परिणामतः प्रस्तुत विविध व्यवहार अपील की याचना स्वीकार कर प्रदत्त नहीं की जा सकती। प्रस्तुत अपील स्वीकार किए जाने योग्य न होने से अस्वीकार कर **निरस्त** की जाती है।

17. आदेश की एक प्रति मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर, अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में पारित किया गया।  
सही/—

**(माखनलाल झोड़)**

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
शृंखला न्यायालय बैहर.

मेरे बोलने पर टंकित  
किया गया।  
सही/—

**(माखनलाल झोड़)**

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
शृंखला न्यायालय बैहर.